राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–1)

क्रमांक –प.1(2)ग्रा.वि/ग्रुप–I/2018 जयपुर, दिनांक 17 DEC 2018

–::आदेश::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष, 2013 में आयोजित लिपिक ग्रेड–II, संयुक्त परीक्षा, 2013 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्रांक प. 1(6)प्र.सु./अनु–3/2017 दिनांक 13.11.2018 के द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियुक्ति हेतु विभाग आवंटित किया गया है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999, (संशोधन) नियम 2006 एवं 2017 के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी को अस्थाई आधार पर लिपिक ग्रेड–II (कनिष्ठ सहायक) के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 15(1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/–प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–05 पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क.सं.	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	श्रेणी	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	जन्म तिथि
1.	इशिका शर्मा	श्री सागर मल शर्मा	GE,WE	2661	254874	16.05.1994

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है :–

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किया गया। अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों के लिए नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 21.11.2017 को जारी की गई में नियुक्तियां आवंटित पदों के संबंध में डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर डीबी स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 05.03.2018 को पारित निर्णय की पालना में दिनांक 28.04.2018 को घोषित परिणाम व एस. बी.सी. रिट पिटीशन संख्या 11497/2017 धारा सिंह गुर्जर बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. माननीय उच्च न्यायालय,जयपुर में दायर रिट पिटीशन 5360/2018 में दिनांक 08.08.2018 को हुये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाईन परिवेदना पर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा सर्वसम्मति से परिवेदनाओं पर अनुतोष प्रदान कर इन्हें गृह जिले/विभाग में परिवर्तन किया गया है।
3. उक्त नियुक्ति डी.बी. स्पेशल रिट अपील संख्या–965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं अन्य विविध याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

लगातार...............................2

Scanned by CamScanner

4. **उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।**
5. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
6. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
8. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड–II (कनिष्ठ सहायक) के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–05 में नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देय होगें।
9. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
10. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
11. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
14. संबंधित अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त(नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.06, राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 12.09.2008 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियम 16 शेड्यूल–प्ट के अनुसार नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

लगातार.............................3

Scanned by CamScanner

16. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करता होगा कि उनके द्वारा आवेंदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण–पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/ सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनके सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
17. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
18. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड–II (कनिष्ठ सहायक) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
19. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हरि मोहन मीना)
संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्रांक प.1(6)प्र.सु./अनु–3/2017 दिनांक 13.11.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्रामीण विकास (दो प्रतियों में) ।
4. प्रोग्रामर मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. संबंधित अभ्यर्थी इशिका शर्मा पुत्री श्री सागर मल शर्मा, ग–48, भवानी नगर, मुरलीपुरा सीकर रोड़, जयपुर को भेजकर लेख है कि वे आवश्यक शपथ–पत्र के साथ अपनी उपस्थित प्रस्तुत करें।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

17/12/2018

(राजेश कुमार शर्मा)
परियोजना अधिकारी(प्रशासन)

Scanned by CamScanner